Email: upsgvb@yahoo.in
legal.upsgvb@gmail.com

दूरभाषः 0522 2238844,3056439
PHONES: 3056423, 3056413
फैक्स : 0522 2239806

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0

प्रधान कार्यालय : 10, माल एवेन्यू, लखनऊ

U.P. SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD.

Head office : 10, MALL AVENUE, LUCKNOW.

परिपत्र सं0–सी-10/विधि/उपभोक्ता वाद/2022–23 दिनांकः– 31.05.2022

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

यह संज्ञान मे लाया गया है कि जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में उपभोक्ता वादों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को बैंक द्वारा पारिश्रमिक मद में दी जाने वाली फीस रू0 400/– एवं विविध व्यय के मद में दी जाने वाली धनराशि रू0 200/– बहुत कम होने के कारण अधिवक्ताओं द्वारा इस दर पर पैरवी करने से मना करने या रूचि न लेने से वादों के निर्णय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वाद का निर्णय बैंक पक्ष मे नही हो पाता है।

अतः उपभोक्ता वादों की और अधिक प्रभावी ढ़ंग से पैरवी सुनिश्चित करने हेतु पूर्व निर्गत परिपत्र सी–153/विधि–2/उपभोक्ता वाद/2005–06 दिनांक 23.11.2005 में आंशिक संशोधन करते हुये उपभोक्ता वादों की पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक के मद में रू0 400/– के स्थान पर रू0 800/– प्रति वाद एवं विविध व्यय रू0 200/– के स्थान पर वाद के सम्बन्ध में वास्तविक विविध व्यय का भुगतान करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि अधिवक्ता द्वारा वास्तविक विविध व्यय सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो। पारिश्रमिक धनराशि का 1/2 भाग जवाबदावा दाखिल करने पर एवं अवशेष 1/2 भाग का भुगतान वाद समाप्त होने पर किया जायेगा।

(ए0 के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

(1) समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,।
(2) समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
(3) महाप्रबन्धक/प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
(4) प्रबन्धक (आई0 टी0 सेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ को ई–मेल द्वारा प्रेषित कराये जाने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक

Email: upsgvb@yahoo.in
legal.upsgvb@gmail.com

दूरभाषः 0522 2238844,3056439
PHONES: 3056423, 3056413
फैक्स : 0522 2239806

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0

प्रधान कार्यालय : 10, माल एवेन्यू, लखनऊ

U.P. SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD.

Head office : 10, MALL AVENUE, LUCKNOW.

परिपत्र सं0– सी-10 / विधि / उपभोक्ता वाद / 2022–23 **दिनांकः– 31.05.2022**

समस्त शाखा / वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

यह संज्ञान मे लाया गया है कि जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में उपभोक्ता वादों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को बैंक द्वारा पारिश्रमिक मद में दी जाने वाली फीस रू0 400/– एवं विविध व्यय के मद में दी जाने वाली धनराशि रू0 200/– बहुत कम होने के कारण अधिवक्ताओं द्वारा इस दर पर पैरवी करने से मना करने या रूचि न लेने से वादों के निर्णय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वाद का निर्णय बैंक पक्ष मे नही हो पाता है।

अतः उपभोक्ता वादों की और अधिक प्रभावी ढ़ंग से पैरवी सुनिश्चित करने हेतु पूर्व निर्गत परिपत्र सी–153/विधि–2/उपभोक्ता वाद/2005–06 दिनांक 23.11.2005 में आंशिक संशोधन करते हुये उपभोक्ता वादों की पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक के मद में रू0 400/– के स्थान पर रू0 800/– प्रति वाद एवं विविध व्यय रू0 200/– के स्थान पर वाद के सम्बन्ध में वास्तविक विविध व्यय का भुगतान करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि अधिवक्ता द्वारा वास्तविक विविध व्यय सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो। पारिश्रमिक धनराशि का 1/2 भाग जवाबदावा दाखिल करने पर एवं अवशेष 1/2 भाग का भुगतान वाद समाप्त होने पर किया जायेगा।

/

(ए0 के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,।
(2) समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
(3) महाप्रबन्धक/प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
(4) प्रबन्धक (आई0 टी0 सेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ को ई–मेल द्वारा प्रेषित कराये जाने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक